Kalyana Rama Mica Mining, Andhra Pradesh

9268. SHRI V. NARSIMHA RAO : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was recently a dispute between the workers of Karchidu Village and Kalyana Rama Mica Mining management in Andhra Pradesh ;

(b) the demands of the workers and the attitude of Kalyana Rama Mica Mining management ; and

(c) Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : (a) Government are not aware of any such dispute.

(b) and (c). Do not arise.

Chittoor Cooperative Sugar Factories

9269. SHRI CHENGALRAYA NAIDU: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the shareholders of the Chittoor Cooperative Sugar Factories, Chittor, (Andhra Pradesh) are being arrested for non-fulfilment of the agreement for the supply of cane;

(b) whether it is also a fact that there is a clause in the agreement that in the case of non-supply of cane, a penalty of Rs. 350/- per ton as a levy will charged;

(c) if so. how far the State Government are competent to arrest them for non-supply of cane instead of collecting the penalty; and

(d) whether Government propose to take immediate steps to direct the State Government to step such harassment and order the release of arrested persons and also withdraw the cases filed against them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI M. S. GURUPADASWAMY) : (a) and (b). The Government of India is not aware of such fact. Information is being obtained from the State Government.

(c) and (d). *Prima facie*, the matter is within the jurisdiction of the State Government and the Government of India is not directly concerned. However, the matter will be examined further on the receipt of information from the State Government.

उपभोक्ता सहकारी भण्डार

9270. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री जमुना लाल :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने उपभोक्ता सहकारी भंडार हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने 20 प्रतिशत खुदरा व्यापार उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के लिए सुनिश्चित करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक अनुदानों तथा ऋणों के रूप में उपभोक्ता सहकारी भंडारों को कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) इन भंडारों की ओर कुल कितना धन बकाया है तथा उसे वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) देश में लगभग 13,000 पंजीकृत प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियां और 350 केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता सहकारी समितियां हैं ।

(ख) चौथी योजना के लिए दो वर्ष पूर्व तैयार किए गए प्रस्तावों में यह परिकल्पित किया गया था कि उपभोक्ता सहकारी समितियों को चाहिए कि वे अपने कार्य क्षेत्र में उनके द्वारा बेचे जाने वाले पदार्थों का 20 प्रतिशत खुदरा व्यापार अपने हाथ में लेने की दिशा में प्रयत्न करें ।

(ग) उपभोक्ता सहकारी समितियों को दिए जाने वाले ऋण तथा अनुदान-रूपर (ख)

में उठाए गये प्रश्न से सम्बद्ध नहीं होते हैं। भारत सरकार राज्य सरकारों को ऋण तथा अनुदान देती है न कि सीधे उपभोक्ता सहकारी समितियों को। भारत सरकार ने अब तक इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को 17.29 करोड़ रुपए के ऋण तथा 2.49 करोड़ रुपए के अनुदान मंजूर किए हैं।

(घ) चूंकि भारत सरकार उपभोक्ता सहकारी भंडारों को सीधे कोई ऋण नहीं देती है, अतः इस राशि को वसूल करने के लिए इसके द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

कारखाना अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन

9271. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1967 से मार्च, 1968 तक की अवधि में कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबन्धों तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन करने के लिये जिन मिल मालिकों और प्रबन्धक अधिकारियों पर मुकदमे चलाये गये उनके नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से कितने लोगों पर जुर्माना किया तथा प्रत्येक व्यक्ति से जुर्माने की कितती राशि वसूल की गई; और

(ग) कितने व्यक्तियों को कैद की सजा दी गई तथा प्रत्येक व्यक्ति को कितनी सजा दी गई, कितने व्यक्ति रिहा किये गये तथा उनके नाम तथा पद क्या हैं?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

आम की फसल

9272. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग के रूप में आम की फसल का विकास करने, आम को काफी दिनों तक सुरक्षित रखने तथा विदेशी मुद्रा कमाने के लिये आमों से बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का निर्यात करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). राज्य सरकारें निर्यात हेतु आम उद्योग के विकास के लिये कदम उठा चुकी हैं। इस समय भारत आम के रस, आम के टुकड़े, गूदे, चटनी व मुरब्बे आदि के रूप में लगभग 6,000 मीटरी टन आम उत्पादों का निर्यात कर रहा है। प्रक्रिया उद्योग को दी जाने वाली रियायतों में टिन प्लेट पर चुंगी व सीमा शुल्क की वापसी, चीनी के संभरण पर छूट व आधा भाड़ा शामिल हैं।

टी० ई० सी० का पुनर्गठन

9273. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सर्किल के डाक तथा तार कर्मचारियों के सम्मेलन का खुला अधिवेशन 5 मार्च, 1968 को दिल्ली में टी० आर० सी० हाल में हुआ था, जिसमें संचार विभाग के राज्य मंत्री ने भाग लिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस सर्किल के सेक्रेटरी ने राज्य मन्त्री का ध्यान टी० ई० सी० के पुनर्गठन के काम में धीमी प्रगति होने के कारण हुई हानि की ओर तथा तार कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर सीमित होने की ओर दिलाया था, और उन कर्मचारियों के वेतन-मानों के बारे में पंच निर्णय बोर्ड बनाने के लिये भी उसमें मांग की गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो इस कर्मचारी संघ